सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/535 दर्ज तिथिः–21.07.2025

1. गुमना पुत्र मोटा
   जाति मेगवाल निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

........................वादीगण

बनाम

1. हरचन्द पुत्र खुमा
2. गोरधन पुत्र खुमा
   2/1 नेनाराम पुत्र गोरधन
   2/2 किशनाराम पुत्र गोरधन
   2/3 छगनाराम पुत्र गोरधन
   2/4 कानाराम पुत्र गोरधन
   2/5 केली पुत्री गोरधन
   2/6 सुगणी देवी पत्नी गोरधन
3. डुगरा पुत्र माना
   जाति मेगवाल निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी
5. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई गुड़ामालानी
6. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः– एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण में दिनांक 19.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2296 दिनांक 09.04.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

2. प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2296 दिनांक 09.04.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 02.04.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3260–3268 दिनांक 11.03.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3260–3268 दिनांक 11.03.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 65 / 0.0162 है0, 66 / 0.0405 है0, 67 / 5.2933 है0, 70 / 6.6126 है0, 73 / 4.6053 है0 मौजा चकगुड़ा पटवार हल्का आलपुरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवष्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा संख्या 65/0.0162 है0, 66/0.0405 है0, 67/5.2933 है0, 70/6.6126 है0, 73/4.6053 है0 मौजा चकगुड़ा पटवार हल्का आलपुरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गुमना पुत्र मोटा हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन हि0 पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	चकगुड़ा चकगुड़ा	70 73	3.2537 है0 0.7809 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.0346 है0				
डूंगरा पुत्र माना हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता एसबीआई गुड़ामालानी	चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा	66 67 73 73	0.0405 है0 2.6344 है0. 0.6708 है0 0.6889 है0	गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.0346 है0				
हरचंद पुत्र खूमा हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन—हि0 पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा रामजी का गोल	चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा	70 65 67 73	1.6268 है0 0.0162 है0 1.3173 है0 1.0744 है0	बा0दो0 गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.0347 है0				
कानाराम पुत्र गोरधनराम किशनाराम पुत्र गोरधनराम नेनाराम पुत्र गोरधनराम श्रवणकुमार पुत्र गोरधनराम सुगणी पत्नी गोरधनराम जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन—कानाराम, किशनाराम, नेनाराम, श्रवणकुमार, सुगणीदेवी आईसीआईसीआई बैंक शाखा रामजी का गोल	चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा	70 67 73	1.6268 है0 1.3416 है0 1.0663 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 4.0347 है0				
नर्मदा नहर	चकगुड़ा	73	0.3240 है0	बा0दो0
गै0मु0 रास्ते हेतु	चकगुड़ा	70	0.1053 है0	गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 535 दर्ज तिथिः–21.07.2025

1. गुमना पुत्र मोटा
   जाति मेगवाल निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

........................वादीगण

बनाम

1. हरचन्द पुत्र खुमा
2. गोरधन पुत्र खुमा
   2 / 1 नेनाराम पुत्र गोरधन
   2 / 2 किशनाराम पुत्र गोरधन
   2 / 3 छगनाराम पुत्र गोरधन
   2 / 4 कानाराम पुत्र गोरधन
   2 / 5 केली पुत्री गोरधन
   2 / 6 सुगणी देवी पत्नी गोरधन
3. डुगरा पुत्र माना
   जाति मेगवाल निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैक रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी
5. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई गुड़ामालानी
6. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः– एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 65/0.0162 है0, 66/0.0405 है0, 67/5.2933 है0, 70/6.6126 है0, 73/4.6053 है0 मौजा चकगुड़ा पटवार हल्का आलपुरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गुमना पुत्र मोटा हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन हि0 पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	चकगुड़ा चकगुड़ा	70 73	3.2537 है0 0.7809 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.0346 है0				
डूंगरा पुत्र माना हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता एसबीआई गुड़ामालानी	चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा	66 67 73 73	0.0405 है0 2.6344 है0. 0.6708 है0 0.6889 है0	गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.0346 है0				
हरचंद पुत्र खूमा हि0 पूर्ण जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन–हि0 पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा रामजी का गोल	चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा	70 65 67 73	1.6268 है0 0.0162 है0 1.3173 है0 1.0744 है0	बा0दो0 गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.0347 है0				
कानाराम पुत्र गोरधनराम किशनाराम पुत्र गोरधनराम नेनाराम पुत्र गोरधनराम श्रवणकुमार पुत्र गोरधनराम सुगणी पत्नी गोरधनराम जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन–कानाराम, किशनाराम, नेनाराम, श्रवणकुमार, सुगणीदेवी आईसीआईसीआई बैंक शाखा रामजी का गोल	चकगुड़ा चकगुड़ा चकगुड़ा	70 67 73	1.6268 है0 1.3416 है0 1.0663 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 4.0347 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested

नर्मदा नहर	चकगुड़ा	73	0.3240 है0	बा0दो0
गै0मु0 रास्ते हेतु	चकगुड़ा	70	0.1053 है0	गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:29 IST
Reason: SelfAttested